मिर्दा स्थापन जाने 45143 The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ॥ वण्ड 4

PART II-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2009/आश्विन 29, 1931

No. 121

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2009/ASVINA 29, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2009

का.नि.आ. 14(अ),--केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 अक्तुबर, 2009 से चेन्नई स्थित सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसचित करती है, जिसके पास तमिलनाड़ और आंध्र प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र पृड्चेरी की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता होगी।

> [फा. सं. 7(6)/2009/डी (एएफरी सेल)] आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2009

S.R.O. 14(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Chennai with effect from 26th day of October, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh and the Union territory of Puducherry.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secv.

HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ॥-खण्ड 4

PART II-Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੱ. 13] No. 13] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

रक्षा मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2009

का.नि.आ. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 3 नवम्बर, 2009 से जयपुर में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता राजस्थान राज्य की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

> [फा. सं. 7(6)/2009/डी (एएफटी सेल)] आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2009

S.R.O. 15(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Jaipur with effect from 3rd day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the State of Rajasthan.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)] ANAND MISRA, Jt. Secv.

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 4

PART II-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2009/कार्तिक 14, 1931

No. 141

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2009/KARTIKA 14, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिस्चना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2009

का.नि.आ. 16(अ),-केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9 नवम्बर, 2009 से लखनक में सशस्त्र वल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसुचित करती है, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश राज्यों की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी ।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एएफटी सेल)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2009

S.R.O. 16(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Lucknow with effect from 9th day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the State of Uttar Pardesh, Uttarakhand, Chinattisgarh and Madhva Pradesh.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secv.

454 The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग ।। खण्ड ४ PART II-Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, मंगलबार, नवम्बर 10, 2009/कार्तिक 19, 1931

No. 151

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2009/KARTIKA 19, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2009

का.नि.आ. 17(अ).--केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 नवम्बर, 2009 से चंडीगढ़ में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसचित करती है, जिसकी अधिकारिता पंजाब, हरियाणा, जम्म एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

> [फा. सं. 7(6)/2009/डी (एएफटी सेल)] आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2009

S.R.O. 17(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Chandigarh with effect from 16th day of November, 2009. which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.

> [F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)] ANAND MISRA, Jt. Secv.

HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 4

PART II-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

का.नि.आ. 18(अ).— केन्द्रीये सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 नवम्बर, 2009 से कोलकाता में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिमूचित करती है, जिसकी अधिकारिता पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के पीतर होगी।

> [फा. सं. 7(6)/2009/डी (एएफरी सेल)] आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2009

S.R.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Kolkata with effect from 23rd day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Orissa and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)] ANAND MISRA, Jt. Secy.